

::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेटा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्य:: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE.

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2 ° Floor, GST Bhavan रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Roud.

<u>राजकोट / Rajkot - 360 00</u>

Tele Fax No. 0281 – 2477952 2441142 Email: cexap pealsrujkot/a gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

अपील : फाइल संख्या Appeal. File No.

V2/22/GDM/2018-19

05/AC/Atendra/2617-18

\$4.40. 36-41-3618 · 通道

4.

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-231-2018-19

आदेश का दिनांक / Date of Order:

24.12.2018

जारी करने की कारीख

Date of issue:

26.12.2018

कुमार संतोष, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Kumar Santosh, Commissioner (Appeals), Rajkot

अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ सहायक आयुक्त, केर्न्द्राय उत्पाद शुल्क/ सेरापण प्रश्लीत । प्रारम्ण १ वर्षशीकासः क्षारा प्रारम्भीतीय प्रारी सुल आदेश से सृजित: /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissiones, Control Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पना /Name & Address of the Appellant & Respondent : ঘ

M/s Phillips Carbon Black Limited, Vill: Vadala, Dist: Bhaj, Kutch-370110.

इस आदेश(अपील) ने व्यक्षित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / आधिकारण ने राज्य आगर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority to the following way.

मीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं मेबाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील जिन्हें य उत्पाद अन्य अधिनियम ,1944 पी अन्य 353 ने अंतरेय एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतरेय निम्नलिखत जगह की जा सकती है। / Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal untern Section 35B of CEA, 1944 / Circler Storion 85 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-(A)

वर्गीकरण मुल्यांकन से सम्बन्धित नभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाधर अधीतीय न्यायाधिकरण की विशेष रोष्ट देख जांच वे 2, आर॰ के॰ पुरेम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/ (i)

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2 1878, Fursing New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेड़ 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेए मभी अपीलें मीमा शत्का हैहिया उत्तर शतक रहि दालर अपीकीब व्यापार , तरका (कालेड) भी पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तेल, बहुमाली भवत अमावा अहमदाबाद- ३ ८० १६ की श्री पार्टर खड़िया (7) To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTATE et 2007 Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in parts 12st apove

(iii)

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in torm 1.4.3 as prescribed under dule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1.000/- Rs.5000-. Rs.10.000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac. 5 Lac to 50 Lac and above 30 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

अपालाय त्यायाधकरण क समक्ष अपील, विच अधित्यस, 1994 का धारा १६८) के अन्यत् अपहार त्यायवाल, 1994, ये हिन्यों ६ १) के तृहत निर्धारित प्रपत्न 8.1,-5 में चार प्रतियों में की जा मुक्ती एवं उसके माथ जिस आहे. विकास की एक उसके प्रतियों में की जा मुक्ती एवं उसके माथ जिस आहे. विकास की एक प्रतियों में की जा मुक्ती एवं उसके माथ जिस आहे. विकास की एवं उसके प्रतियों में की अपने कर के प्रतियों में की स्वार्थ की स्वार्थ की कार्य की प्रतियों में की जा मुक्ती एवं उसके माथ जा कार्य की स्वार्थ की प्रतियों की स्वार्थ की स्वार्थ की प्रतियों की प्रतियों की स्वार्थ की स्वार्थ की प्रतियों की स्वार्थ की प्रतियों की प्रतियों की स्वार्थ की प्रतियों की प्रतियों की प्रतियों की स्वार्थ की प्रतियों की प्रतियो (B)

The appeal under sub-section (1) of Section 86 of the Finance Act, 39%, to the Appellate Tribunal Shall be filled in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (on toll which shall be octahed copy, and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded B penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less. Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10.000/- where the ancunt of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, to the form to those of bank to at all layour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector bank of the place of the bench of arithmal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of kn.500/-.

हिन क्षितिक्य, 1964 को उस के वैद्यान के पान के दें (2A) के अनमन उसे की गयी अपील, मेबाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं के 30 कि जिल्हा कि अपील प्राप्त के अपील के कि अपील के कि अपील के किया के अपील के कि अपील के अपील के कि अपील के कि अपील के कि अपील के कि अपील के अपील के कि अपील के अपील के अपील के कि अपील के अपील के कि अपील कि 100

स्थान जनार शेन्द्राच तहार शहर क्यांकार कर्णकार कार्यकार (सेन्द्रेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुरूक अधिनियम 1944 की धारा राज्य के जिल्हा की विभाग अवश्यित (१९०० के जाना 83 के अनर्थन मेंबाबर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपोलिय के सम्मार क्यांकार जाता के अपात कार्यकार के उपात है। 10%), जब सौर गर्य जम्मीन विवादित है, का अम्मीन, जब केवल जुमीना विवादित है, का अस्त्राच के प्रति के अपात के अस्त्राच के अपात के अपात किया गर्य शुरूका में विद्य शामिल है अस्त्राच के अपात कार्यकार के अस्त्राच के अस्त्राच किया गर्य शुरूका में निद्य शामिल है अस्त्राच के अस्त्राच के अस्त्राच के अस्त्राच के अनुस्ति हैया काम (10)

हारत महक्ष्य भी पुनिष्ठिम आर्थित । Revision application to Geographical करिष्ठां: प्राप्त करिष्ठां करिष्ठां करिष्ठां करिष्ठा करिष्ठा करिष्ठां में केन्निक उत्ताद शुक्क अभिनियम, 1994 की भाग 35EE के प्रथम प्रश्नक के अनिर्मत अबर प्रश्निक करना रोजिए। प्रश्निक करना करिष्ठां करिष्ठा करिष्ठां करिष्ठा करिष्ठा करिष्ठा करिष्ठा करिष्ठा करिष्ठा करिष्ठा करिष्ठा करिष्ठा करिष तरह सम्बद्ध को इ<mark>नग्रेक्षण</mark> आहेरण (C)

ाति मार प्रतिमा न्युक्त के मार्ग में जिसे न्यान दिनी माप की किनी कारकाने में भंदार गृह के पार्गमन के दौरान या किनी अन्य कारखाने या फिर जिसी मार्ग के पार्ट में हमार के प्रतिमान के प्रतिमान के किनी भंदार गृह में या भंदारण में मान के प्रतिम्हण के दौरान, किनी कारखाने या किनी जिस एक of cary loss of goods where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory of the conclusivements to example the course of processing of the goods in a warehouse or in storage

्षत्र े उपस्य िसी राष्ट्र या के तो जिल्ला कर रहे साथ है विभिन्नोंग में प्रयुक्त बच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के खुट (रिवेट) के मामले में, के अपने में इन्हों किसी राष्ट्र के के भी जिल्ला का स्वीति हैं। of the end of the first of a series of goods exported to any country or territory outside India of on excisable with the above to the good to the above grown which are exported to any country or territory outside India.

ांचे हर व शुक्त का कुनसान किए विकाश रासन ए ग्राइट लिएन या भूद्रान की मान नियांन किया गया है। / at rast of goods exposion out suit little expose to Nepal or Bhittan, without payment of duty, $(\frac{1}{1})$

परिकित उत्पाद के उत्पादन प्रत्य के अधिका के पिक की प्रवर्ग केबीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश ो भुक्ति (कोरिंट) के बाक जिल ऑक्सिक्ट (च. 2), 1998 की धारा 109 के बाक नियंत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए

(hird) I any duty allowed to be utilized sowards payment of excise duty on final products under the provisions of this Art of the Rules made their under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the tute appeals on or after, the tute appeals on the Finance (No.2) Act. 1998.

1965 - 1965 - 1966 - 19

ार्योक्षण आहेष्यर के साथ सिंह किर्याल के पीर्टन शुख्य की अद्यावकी की जासी चाहिए । प्राचित्रक रक्षक पात्र कार्य या द्रयन पात्र के लोग लोग 200 - का भगतान किया जाए और यदि संतक्ष रक्षम एक लाख **रूपये से ज्यादा हो तो रूपये** 1900 - पुत्र प्रकारत द्रियो कार्य : ि प्राप्त कर प्रकार के प्रमुख्य कर के किस कर कि किस कर के किया है। किस कर के होते हैं। किस कर के होते हैं।

िहा त्रीक है कहें एक आहेती हैं एक कि है ते एक एक अहै भी के लिए शक्क हा भगतान, उपर्युक्त हंग में किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होने हुए हैं कि order covers various है आहेता के किया मारिकेट की किया मारिकेट की एक आवेदन किया जाता है। / In case, है कि order covers various है आहेता के Goder in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid है के Goder As the cost and the tast the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the As the cost and the safety of a value of the solution of the control of the Appellant Tribunal or the one application to the

ाहार है जिस सम्बद्धिक काम के किएक का है। ये कहा की ने अनुनार मृत आदेश एवं स्थान आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय के प्रकार कर के क्षेत्रकार के किए के प्रकार के sample the same of the same is a deer Schedule-Lin terms of the adjudicating authority shall bear a same by sampled Rs. 6.50 same is a lander Schedule-Lin terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

िर्माण हिन्दीय बुनाव १९५८ हें एक स्थान है। तेव न्यामधितरमा (चार्य विकि) नियमावती, 1982 में वर्षित एवं अस्य मंत्रस्थित महमसों की अपने का कान शर्मार्थित है। / वर्षित है। विकास की है। कि अपने का कान शर्मार्थित है। वर्षित है। वर्षित एवं अस्य मंत्रस्थित महमसों की अस्य मंत्रस्थित महमसों की अस्य मंत्रस्थित महमसों की अस्य मंत्रस्थित है। वर्षित है

ात अर्गालीय प्राप्तिलागि को अर्गाल वर्गने के गंदिशित स्थापक, विस्तृत और नबीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट १९९९ (Progenity के वेद राज्यों के अर्थ (Provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the १९९८ (1) throw refer to the Experience that website www.cocc.gov.m



:: ORDER IN APPEAL ::

The present appeal has been filed by M/s. Phillips Carbon Black Ltd. Vill. Vadala Dist. Bhuj Kutch- 370110 Gujarat (hereinafter referred to as "the against Order-In-Original No.05/AC/Mundra//2017-2018 30.01.2018 (hereinafter referred to as "the impugned order"), issued by the Assistant Commissioner, Central GST (Division Mundra) Kutch Commissionerate, Gandhidham. (hereinafter referred to as "the adjudicating authority").

- 2. I find that the present appeal has been filed by the Appellant on 21.05.2018 whereas the impugned order issued on 30.01.2018 and shown to have been received on 17.02.2018 by the appellant themselves their Appeal Memorandum. This fact clearly establishes that the appellant has filed their appeal after 92 days from the date of receipt of the impugned order.
- 3. I also find that this appeal has been filed 32 days after the stipulated period of 60 days available to the applicant from the date of receipt of the impugned order. This appellate authority has power, in terms of Section 35 of the Central Excise Act, to condone delay in filing of appeal maximum up to further 30 days only on reasonable cause being shown. The present appeal having been filed beyond time limit of 90 days prescribed under the statute and the Commissioner (Appeals) has no power to condone delay beyond 90 days and hence this appeal filed by the Appeilant is liable to be dismissed on the ground of limitation of time without going into merits.
- In view of above, I dismiss this appeal filed by the appellant in limine. 4.
- अपीलकर्ता दवारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
- The appeal filed by the appellant stands disposed off in above terms.O 5.

(कुमार सैतोष) ं आयुक्त (अपील्स) कुमार संतोष / Kumar Santosh

आयुक्त। Commissioner

By R.P.A.D.

M/s. M/s. Phillips Carbon Black Ltd. Vill. Vadala Dist. Bhuj Kutch- 370110 Gujarat.

Copy to:-

Commissioner, GST& Central Excise, Ahmedabad Zone, Chief Ahmedabad for kind information please.

अधीक्षक (अपील्स)

- 2) The Commissioner, GST & Central Excise, Kutch Gandhidham.
- 3) The Assistant Commissioner, Central Excise, Mundra Div. Kutch, Gandhidham.
- 4) Guard File